भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 78

उत्तर देने की तारीख 18.11.2019

अनुसूचित जनजाति सूची के अंतर्गत नई जनजातियों को शामिल करना

78. श्री राजू बिष्टः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के अनुसूचित जनजाति के रूप में शमिल किए जाने के लिए बचे हुए जनजातियों को चिह्नित करने के लिए विशिष्ट अधिदेश और भारत के महापंजीयक (आर॰जी॰आई॰) की क्या भूमिका है;

(ख) बची हुई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने के अनुरोधों को आर॰जी॰आई॰ द्वारा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के संवैधानिक और कानूनी मापदंड क्या हैं ; और

(ग) 16वीं लोकसभा के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष कृतिक बल की सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जाति सूची के अंतर्गत शामिल करने के लिए मापदंड और प्रक्रिया के संशोधन के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरूता)

(क) तथा (ख) *:* भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (दिनांक 25.06.2002 को पुन:संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन , अपवर्जन हेतु दावे निर्धारित करने तथा अन्य संशोधनों के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार केवल उन प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा न्यायोचित माना जाता है एवं इसकी सिफारिश की जाती है तथा जिस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा सहमति प्राप्त हो। अनुसूचित जनजाति की स्थिति की मांग करने वाले समुदायों के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों के प्रस्तावों पर सभी कार्रवाई प्रविधियों के अनुसार की जाती है ।

(ग) अजजा की सूची के तहत समुदायों के समावेशन / अपवर्जन के लिए इन प्रविधियों का अनुपालन किया जा रहा है।

****